

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 08/07/2024

अ.सं.:संब0-6144/2024 (पार्ट-I)-1089/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की संबद्धता बोर्ड की बारहवीं बैठक की कार्यावली सं0-BOA-4/12 एवं तेरहवीं बैठक की कार्यावली सं0-BOA-2/13 पर गैर-सरकारी नर्सिंग संस्थानों द्वारा संबद्धता अवधि विस्तार हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक विचारोपरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित नर्सिंग संस्थान को कॉलम सं0 3 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 4 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए सत्र-2024-25 हेतु संबद्धता का अवधि विस्तार (Renewal/Extension of Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है।

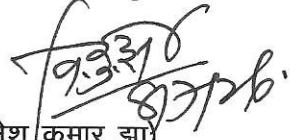
Sl. No.	Name of College/Institute & District	Course	Intake Capacity for 2024-25
1	2	3	4
1	Krishna Institute of Higher Education, Madhepura	ANM	60
		GNM	60
2	Krishna Institute of Nursing and Paramedical Sciences, Samastipur	ANM	60
		GNM	100
3	Seemanchal Degree College, Araria	ANM	60
		GNM	60
4	Gayatri Memorial Paramedical Nursing Institute, Gaya	ANM	100
5	Vivekanand ANM Training School, Gaya	ANM	100
6	Apollo College of Nursing, Darbhanga (Name Modified by Health Deptt. Order No.-228(6) dated-10.03.2026)	GNM	40
		ANM	60
7	Vidyapati Institute of Higher Education, Samastipur	GNM	60
		ANM	60
8	Triveni College of Education (Nursing), Nawada	ANM	60
		GNM	60
9	Nawada College of Nursing, Nawada	ANM	60
10	Guro Binda College (Nursing), Nawada	GNM	60
		ANM	60
11	Shivam Higher Education Foundation GNM Nursing College, Purnea (Name Modified as Shivam Higher Education Foundation GNM Nursing College, Purnea vide Health Deptt. Govt. of Bihar Order No.-1136(6) dated-31.08.2024)	GNM	60
12	Shivam Higher Education Foundation ANM Training School, Purnea (Name Modified as Shivam Higher Education Foundation GNM Nursing College, Purnea vide Health Deptt. Govt. of Bihar Order No.-1136(6) dated-31.08.2024)	ANM	60
13	St. Stephen's College of Nursing, Supaul	GNM	60
		ANM	60
14	Champaran Nursing College, West Champaran	GNM	60
15	Children Nursing and Paramedical Institute, Samastipur	ANM	60
		GNM	60

नियम एवं शर्त:-

- संबद्धता का अवधि विस्तार विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
- संबद्धता का अवधि विस्तार सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
- सभी नर्सिंग संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना द्वारा मान्यता संबंधी पत्र में अध्यारोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
- संबंधित संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र-छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।

06. विश्वविद्यालय/भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली/स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जाँच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान का छः माह के अन्दर निरीक्षण किया जाएगा तथा संबंधित संस्थान को प्रदान किया जा रहा संबद्धता का अवधि विस्तार निरीक्षण के फलाफल से आच्छादित होगा।
07. संस्थान स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
08. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
09. संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय में समर्पित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातों को सही मानते हुए संबद्धता का अवधि विस्तार किया जा रहा है तथा कागजातों के सही होने की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित संस्थान की है। भविष्य में किसी भी समय संस्थान द्वारा समर्पित कागजातों के सत्यापन में गलत पाए जाने की स्थिति में संबद्धता अवधि विस्तार को वापस ले लिया जाएगा तथा निमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।
10. संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

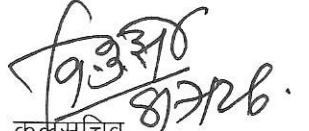
कुलपति के आदेशानुसार


(विमलेश कुमार झा)
कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना
पटना, दिनांक 08/04/2024

ज्ञापक : संबं0-6144/2024 (पार्ट-I)-1089/

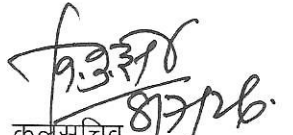
प्रतिलिपि-प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित नर्सिंग संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि-डीन(अकादमिक)/डीन(नर्सिंग)/डीन(परीक्षा)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/
कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना
पटना, दिनांक 08/04/2024

ज्ञापक : संबं0-6144/2024 (पार्ट-I)-1089/

प्रतिलिपि-माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना